Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. BO/1/2018/STGOR/DELAAL/RU-III **Date: 13.02.2019**

To,

The District – Collector,
District – Sundergarh,
Odisha

Sub: **Proceeding of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 22.01.2019 at 04.00 p.m.** in the matter of Representation of Shri Biswanath Oram, Jalda B Block, PO-Jalda C, Block, PS-Raghunathapali, District – Sundergarh (Odisha) regarding prayer for immediate restoration of land bearing Sabik Khata No. 110 of Mouza Mahulpali as per direction of court of O.S.D. (LR) Panposh.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 22.11.2019 at 04.00 P.M. on the above cited subject.

It is, requested that **action taken report** in the matter may please be sent to the Commission within **15 Days**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

14/2/2019
(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Biswanath Oram,
   Jalda B Block, PO-Jalda C,
   Block, PS-Raghunathapali,
   District – Sundergarh (Odisha)

2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(BO/1/2018/STGOR/DELAAL/RU- III)

श्री विश्वनाथ उरांव, जलदा बी ब्लॉक, पो. जलदा सी ब्लॉक, थाना- रघुनाथपली, जिला – सुंदरगढ़ (ओडीसा) द्वारा अपने पैतृक जमीन, मौजा महुलपल्ली, साबिक खाता संख्या 110 पर ओएसडी कोर्ट (एलआर) पानपोश के निर्देशानुसार कब्जा दिलाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22/1/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि	:	22/1/2019
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

(1) श्री विश्वनाथ उरांव, जलदा बी ब्लॉक, पो. जलदा सी ब्लॉक, थाना रघुनाथपली, जिला- सुंदरगढ़ (ओडीसा) ने दिनांक – 19/2/2018 को अपनी पैतृक जमीन मौजा महुलपल्ली, साबिक खाता संख्या 110 पर कब्जा दिलाने को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आवेदन देकर न्याय दिलाने की मांग की थी।

(2) मामले में संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिनांक 26/2/2018 को जिला कलेक्टर को नोटिस भेजा गया था। विभाग द्वारा नोटिस का जवाब निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हुआ जिसके बाद अभ्यावेदक ने दिनांक 14/11/2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र भेजा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक करने का निर्देश जारी किया।

(3) माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 22/1/2019 को बैठक निर्धारित की गई जिसके लिए जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ ओडीसा को दिनांक 11/1/2019 को बैठक के लिए नोटिस भेजा गया।

(4) बैठक में आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक विश्वनाथ उरांव ने बताया कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने साबिक

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

खाता संख्या 110, मौजा महुलपल्ली स्थित उनके पूर्वजों की 7.74 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया था जिसका उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया था। उक्त जमीन में 2.15 डिसमिल जमीन अधिग्रहित नहीं की गई थी।

(5) सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर उसे संबंधित विभाग राउरकेला स्टील प्लांट व अन्य विभागों को सौंप दिया। राउरकेला स्टील प्लांट ने अतिरिक्त जमीन को प्लांट साइट थाना को आउट पोस्ट निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दिया।

(6) उक्त मामले में दिनांक 31/7/2013 को ओएसडी(एलआर) की कोर्ट से गैर अधिग्रहित 2.15 डिसमिल जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अभ्यावेदक के पक्ष में निर्णय दिया था तथा दिनांक 02/9/2013 को अभ्यावेदक को जमीन दिलाने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिया था।

(7) मामले में तहसीलदार द्वारा अभी तक अभ्यावेदक को जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(8) आयोग ने जिला कलेक्टर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने बताया कि संबंधित जमीन वर्तमान समय में पुलिस विभाग के अधीन है। जिला प्रशासन के पास वर्तमान में जमीन उपलब्ध नहीं है।

(9) मामले में ओएसडी (एलआर) के निर्णय के खिलाफ एडीएम कोर्ट मे मामला लंबित है, उसका निर्णय आने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा।

आयोग ने इस मामले में सभी पक्षों और दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नलिखित अनुशंसा की है –

(क) कोर्ट (ओएसडी, एलआर) के द्वारा दिनांक 31/7/2013 को अभ्यावेदक के पक्ष में निर्णय देते हुए दिनांक 02/9/2013 को तहसीलदार को आदेश जारी कर अभ्यावेदक को गैर अधिग्रहित जमीन 2.15 डिसमिल उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था।

(ख) मामले में मुख्य सचिव के लिए आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है कि कोर्ट (ओएसडी, एलआर) द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यावेदक को जमीन दिलाई जाए और 15 दिन में अपने द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जाए।

12.02.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(BO/1/2018/STGOR/DELAAL/RU- III)

श्री विश्वनाथ उरांव, जलदा बी ब्लॉक, पो. जलदा सी ब्लॉक, थाना- रघुनाथपली, जिला – सुंदरगढ़ (ओडीसा) ने अपने पैतृक जमीन, मौजा महुलपल्ली, साबिक खाता संख्या 110 पर ओएसडी कोर्ट (एलआर) पानपोश के निर्देशानुसार कब्जा दिलाने के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नंद कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22/1/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

(अ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1.) श्री नंद कुमार साय, अध्यक्ष
(2.) श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
(3.) श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल बसावा, सदस्य
(4.) श्री ए. के सिंह, सचिव
(5.) श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
(6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

(ब) जिला कलेक्टर, ओडीसा

(1) सुरेंद्र कुमार मीणा

(स) अभ्यावेदनकर्ता

(1) श्री विश्वनाथ उरांव